न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— श्री राजेशकुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :— 194 / 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023 / 309

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.अशोककुमार पुत्र भेराराम 2.आदित्य स्वरूप पुत्र अशोककुमार जाति सोनी निवासी चोहटन रोड़ बाड़मेर जिला बाड़मेर		1.ओमाराम पुत्र लालूराम 2.गोकुलाराम पुत्र अचलाराम 3.पेमाराम पुत्र अचलाराम 4.वगताराम पुत्र अचलाराम 5.हुकमाराम पुत्र अचलाराम 6.पारसराम पुत्र लालूराम 7.रमेशराम पुत्र लालूराम जाति नाई निवासी पटाऊ खुर्द तहसील कल्याणपुर 8.इन्द्रसिंह पुत्र पोलसिंह 9.भंवरसिंह पुत्र पोलसिंह 10.मोहरसिंह पुत्र पोलसिंह 11.लीलादेवी पत्नी किशोरसिंह 12.किशनसिंह पुत्र जेठुसिंह 13.नरसिंह पुत्र जेठुसिंह 14.रूपसिंह पुत्र मगसिंह 15.गुमानसिंह पुत्र गुणेशसिंह 16.गोपालसिंह पुत्र पुनमसिंह जाति पुरोहित निवासी पटाउ कला तहसील कल्याणपुर 17.अचलाराम पुत्र करीगाराम 18.जालाराम पुत्र रूपाराम 19.नैनाराम पुत्र सवाराम 20.[illegible] पुत्र [illegible] 21.लुम्बाराम पुत्र सवाराम 22.मंगलाराम पुत्र रूगनाथ[illegible] जाति पटेल निवासी कुडी तहसील कल्याणपुर 23.राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार कल्याणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.02.06 17:30:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पूनमाराम चौधरी,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री भूप्रेन्द्र गहलोत अधिवक्ता, विप्रार्थी संख्या 1 से 7 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी संख्या 08 से 23 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 05.01.2024

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम पटाऊ कला पटवार हल्का पटाऊ कला तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 279/98 क्षेत्रफल 6.7178 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पटाऊ कला पटवार हल्का पटाऊ कला तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 279/98 क्षेत्रफल 6.7178 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत की ओर से विप्रार्थी संख्या 1 से 7 की तरफ से वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 08 से 23 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि [illegible] कला तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 279/98 [illegible] है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला [illegible] विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो [illegible]टवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.02.06 17:30:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है,इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम पटाऊ कला पटवार हल्का पटाऊ कला तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 279/98 क्षेत्रफल 6.7178 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.वकील विप्रार्थी की बहस है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के सेढा सेढ विप्रार्थी की सहखातेदारी खसरा संख्या 93 क्षेत्रफल 4.0469 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। लेकिन विप्रार्थी की ओर से प्रार्थीगण की खातेदारी में कभी भी दखलदान्जी नहीं की गई है और न ही प्रार्थीगण की सेढ माढ को नुकसान पंहुचाया गया है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी की जाती है,तो आपति नहीं है। लेकिन प्रार्थीगण की भूमि के साथ विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 93 की भी नेखमबंदी आदेश किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम पटाऊ कला पटवार हल्का पटाऊ कला तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 279/98 क्षेत्रफल 6.7178 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदारान अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है। विवादित भूमि की सीमाज्ञान मौका फर्द दिनांक 17.01.2023 फोटो–प्रति अवलोकन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही हो रखी है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें का हकदार है। वकील विप्रार्थी ने अपनी बहस में स्वीकार किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी की जाती है,तो आपति नहीं है,लेकिन प्रार्थीगण की खातेदारी के साथ विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 93 की भी नेखमबंदी करने के आदेश कीया जावे। उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है,क्योंकि विप्रार्थी की भूमि के सेढा पड़ौसी प्रार्थीगण के अलावा अन्य तीन दिशाओं के सेढा पड़ौसी लगतें होगें,जो उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं है। ऐसी सूरत में विप्रार्थी का काउन्टर क्लेम अस्वीकार किया जाता है। लेकिन विप्रार्थी अपनी ओर से आवेदन–पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.02.06 17:30:52 IST
Reason: SelfAttested

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पटाऊ कला तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 279/98 क्षेत्रफल 6.7178 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कल्याणपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,बालोतरा

आदेश आज दिनांक 05.1.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.02.06 17:30:52 IST
Reason: SelfAttested